दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न. 0141.2227267 फैक्स न. 0141.5115766
**W**ebsite : www.rajsico..gov.in ’ **e-mail** : rajsico@rajasthan.gov.in

**अहस्तांतरणीय**

**मूल्यः** 500/-
Non-Refundable

**राजस्थली आगरा ,व माउण्ट आबु,**

**राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पाद विक्रय करने हेतु**

निविदादाता/
आवेदक का फैंटें

**निविदादाता/आवेदक का नाम** : ____________________

**निविदा प्रपत्र संख्या** : ______________

- निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि **25.4.2016.** समय मध्यान्ह **1: 00** बजे
- प्राप्त निविदा उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **3: 00** बजे खोली जावेगीं

**नोटः - लिफाफे पर हस्तशिल्प का नाम एवं राजस्थली जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है का नाम अवश्य अंकित करें। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।**

**राजस्थली पर मिनिमम सेल गारन्टी पर हस्तशिल्प आईटम हेतु एम.एस.जी आवंटन किये जाने का आवेदन/निविदा प्रपत्र**

1 विक्रय केन्द्र का नाम जहाँ के लिऐ निविदा की जा रही है। : ______________________________

2 हस्तशिल्प का नाम जो आप विक्रय करेंगें : ______________________________

______________________________

**नोटः -**

- टैक्नीकल बिड व फाईनेन्सियल बिड अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें तथा लिफाफे के उपर ''टैक्नीकल बिड''/''फाईनेन्सियल बिड'' अंकित करें।
- टैक्नीकल बिड में सफल निविदादाता की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी।
- निविदा फार्म व प्रपत्र निगम की वेब साइट से डाउन लोड किया जा सकता है । निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क नकद /डीडी के द्वारा सेन्ट्ल स्टोर या दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0श के नाम से जमा करवाया जाना होगा जिसकी सूचना /विवरण निविदा प्रस्तुत करते समय देनी होगी ।

दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न. 0141.2227267 फैक्स न. 0141.5115766
Website : www.rajsico..gov.in ' **e-mail** : rajsico@rajasthan.gov.in

# टैक्नीकल बिड

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | क्या निविदादाता कारीगर/निर्माता है तो चिन्हित करें व समर्थन में वांछित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें। | : | कारीगर ☐<br>निर्माता ☐ |
| 2 | इस क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव है | : | ____________________ |
| 3 | अमानत राशि रू. 20000/- नगद अथवा डी.डी. द्वारा | : | रसीद संख्या ______ दिनांक ______<br>ड्राफ्ट संख्या ______ दिनांक ______ |
| 4 | आवेदक/निविदादाता का नाम एवं स्थाई पता, संस्थान का नाम भी लिखें | | |
| | अ. मुख्यकर्ता का नाम एवं स्थाई पता | : | ____________________ |
| | ब. टेलीफोन नम्बर फैक्स नं0 एवं मोबाइल नं0 | : | ____________________ |
| 5 | आवेदक फर्म का विवरण<br>कृपया चिन्हित करें) | : | 1. व्यक्तिगत ☐<br>2. साझेदारी ☐<br>3. कम्पनी ☐ |
| 6 | यदि साझेदारी फर्म है तो साझेदारी के नाम व पते यदि सोसायटी या कम्पनी है तो संचालको के नाम व स्थाई पते<br>नोटः साझेदारी डीड अथवा मेमोरेन्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। | : | 1- ____________________<br>2- ____________________<br>3- ____________________<br>4- ____________________ |
| 7 | उत्पादन स्थल का पूरा पता | : | ____________________ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ____________________ |
| | | | ____________________ |
| 8 | दुकान व संस्थान नियमों के अन्तर्गत यदि पंजीकृत हो तो उसका नम्बर व तिथि रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति संलग्न करें ) | : | ____________________ |
| 9 | यदि संस्थान उद्योग विभाग से स्थाई रूप से रजिस्ट्र्ड हो तो उसका रजिस्टेशन नम्बर व दिनांक। फोटो प्रति संलग्न करें) | : | ____________________<br>___________________ |
| 10 | क्या आप आयकर दाता है, यदि है तो पिछले गत वर्षो की आयकर व वैट रिटर्न संलग्न करे । | : | हाँ ☐ नहीं ☐ |
| 11 | पेन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें | | |
| 12 | क्या राजस्थली के आस-पास आपका स्वयं का शोरूम तो नहीं है, अगर है तो कितनी दूरी पर है। | | हाँ ☐ नहीं ☐<br>दूरी ______ |
| 13 | यदि आपके काफ्ट पर वैट लगता हैं तो वैट/टिन रजिस्ट्रेशन नं. व दिनांक ;पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करेद्ध | : | |
| 14 | वित्तीय स्थिति के समर्थन में सम्बंधित बैंक के शाखा प्रबंधक का साख संम्बधी प्रमाण पत्र संलग्न करे तथा बैंक का नाम व खाता संख्या बतायें। | : | |

**दिनांकः** **निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के**

**स्थान :** **हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता**

दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न. 0141.2227267 फैक्स न. 0141.5115766
Website : www.rajsico..gov.in ' **e-mail** : rajsico@rajasthan.gov.in

# फाईनेन्सियल बिड

| | | |
|---|---|---|
| 1. | वर्ष 2016-2019 (36 माह हेतु) के लिये न्यूनतम बिकी गारन्टी राशि जिस पर निर्धारित दर से न्यूनतम बिकी कमीशन निगम को देय होगा। | : तीन वर्ष की (36 माह हेतु) न्यूनतम बिकी गारन्टी राशि न्यूनतम बिकी गारन्टी प्रथम वर्ष में दी गई न्यूनतम बिकी गारन्टी से कम से कम 5 प्रतिशत या उससे अधिक बढती हुई होनी चाहिऐ।)<br><br>**अंको में रु शब्दों में रु**<br>प्रथम वर्ष - ................ .......................<br>द्वितीय वर्ष- ................ ........................<br>तृतीय वर्ष- ................. ........................ |
| 2. | यदि तीन वर्ष पश्चात आपसी सहमति से समयावधि बढाई जाती है तो आगामी दो वर्ष की के लिये न्यूनतम बिकी गारन्टी राशि जिस पर निर्धारित दर से न्यूनतम बिकी कमीशन निगम को देय होगा। | चतुर्थ वर्ष - ................ .......................<br><br>पॉचवॉ वर्ष- ................ ..................... |
| 3. | काफ्टस का नाम जो शोरुम में बिकी किऐ जावेगे। | : |
| | राजस्थली का नाम | |
| 4 | अन्य विवरण | |

**दिनांकः** **निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के**

**स्थान :** **हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता**

दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0
उघोग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन न. 0141.2227267 फैक्स न. 0141.5115766
web site : www.rajsico.com * e-mail rajsico@rajasthan.gov.in


## निविदादाताओं के लिये विशेष निर्देश

1. निविदादाता निविदा देने से पूर्व काउन्टर हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले स्थान व अन्य उपलब्ध सुविधाओं इत्यादि की पूर्ण जानकारी संबंधित एम्पोरियम से प्राप्त करें तथा स्थान का अवलोकन भी स्वयं करे। निगम को स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है ।

2. आवेदन पत्र का सम्पूर्ण सेट चाहे गये अनुसार पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित हो। सशर्त व अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जा सकते है।

3. आवन्टन में कारीगर/निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्त निविदाओं को खोलने के पश्चात यदि निगम द्वारा पार्टियों से निगोशिऐशन करने का निर्णय लिया जाता है तो केवल उन्ही निविदाताओं को निगोसिऐशन के लिए बुलाया जावेगा, जिसकी ऑफर्स, प्राप्त अधिकतम ऑफर्स से 10 प्रतिशत या इससे कम अन्तर की पाई जावेगी। निविदाऐं निगम द्वारा स्वीकृति देनेके प्रयोजन से निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिन तक वैध रहेगी।

4. निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि रु 20000/- नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट ृसेन्टल स्टोरश या ृदी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशनश जयपुर के नाम से जमा कराया जाना आवश्यक है । अमानत राशि जमा नहीं करवाये जाने पर निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

-ः घोषणा ः -

1. यदि मुझे/हमें काउन्टर आवंटन हुआ तो मैं/हम नियम व शर्तो का पूर्णतया पालन करेगें, जिसके प्रति स्वरुप नियम व शर्ते हस्ताक्षर करके संलग्न की जा रही है।

2. दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेसन लि0 द्वारा व्यक्तिगत रूप अथवा मेरे/हमारे संस्थान/सोसायटी/फर्म के टेण्डर में भाग लेने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से अथवा फर्म/संस्थान की ओर से पूर्ण अधिकृत है।

आवेदक/अधिकृत केहस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक गवाहः

1

2

हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये।

## *नियम एवं शर्ते*

**1. *न्यूनतम बिकी गारन्टीः -***

*शोरूम हेतु 32 वर्षो के लिऐ वर्षवार न्यूनतम बिकी की गारन्टी देनी होगी जिस पर 25 प्रतिशत कमीशन निगम के पक्ष में भुगतान करना होगा। यदि वास्तविक बिकी न्यूनतम गारन्टी बिकी से अधिक होती है तो वास्तविक बिकी राशि पर भी 25 प्रतिशत कमीशन देय होगा। यदि किसी विशेष महिने में बिकी न्यूनतम गारन्टी राशि पर देय कमीशन से भी कम होती है तो देय न्यूनतम कमीशन तथा वास्तविक बिकी की अन्तर राशि आवन्टी द्वारा अगामी माह की 12 तारीख तक निगम को जमा करवानी होगी।*

**2. *बीमा :-***

*आवन्टी द्वारा स्वयं के रखे गये सामान का बीमा अपने खर्चे पर कराना होगा । निगम आवन्टी के सामान की किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेवार नही होगा।*

**3 *अनुबंध अवधिः -***

*बिना अनुबन्ध किये शोरूम का कब्जा आवन्टी को किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा। शोरूम 3 वर्ष के लिए आंवटित किये जावेंगे, परन्तु यह अवधि दोनों पक्षों द्वारा आपसी समझौते से अधिकतम दो वर्ष तक बढाई जा सकती है। यदि निविदादाता की कार्य विधि, व्यवहार तथा विकी सन्तोषप्रद नहीं पायी गयी तो निगम को अनुबन्ध उक्त अवधि से पूर्व भी निरस्त कर शेष अवधि के लिए शोरूम वित्तीय अधिकतम निविदादाता को अनुपातिक आधार पर उपलब्ध करा दिया जावेगा इस विषय में निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।*

**4 *धरोहर राशिः -***

*सफल निविदादाता द्वारा 3 माह के न्यूनतम बिकी गारन्टी पर देय अनुपातिक कमीशन के बराबर धरोहर राशि जो 60 प्रतिशत नगद/डी.डी व 40 प्रतिशत बैंक गारन्टी के रूप में शोरूम पर विकी प्रारंभ करने से पूर्व जमा करानी अनिवार्य हैय*

जो अनुबन्ध की शर्तो का पूर्ण पालन किए जाने के पश्चात् अनुबन्ध की समाप्ति पर लिखित आवेदन करने पर लौटा दी जावेगी। यदि अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पहले ही उसकी शर्तो के उल्लंघन के कारण/निरन्तर बिकी कम होने से यदि खाता डेबिट होता है तो यदि निगम द्वारा आवन्टन समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापिस लिया जाता है तो बैंक गारन्टी की राशि जब्त/समायोजन कर ली जावेगी तथा इसके फलस्वरूप निगम को हुई हानि यदि बैंक गारन्टी राशि से अधिक होगी तो शेष राशि आवन्टी को देय अन्य राशि से एवं न्यायालय के माध्यम से वसूल की जावेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

सफल निविदा दाता को आवन्टित शोरूम को निविदाताओं स्वयं के खर्चे पर 21 दिन के भीतर उपयोग योग्य आन्तरिक साज-सज्जा जैसा कि फर्नीचर, फिक्चर, ए.सी., आदि) बनाना होगा, जिसकी लागत लगभग 2 लाख से 3 लाख अनुमानित है, जो कि पूर्ण रूप से अनुबन्ध की समाप्ति के बाद निगम की मानी जावेगी एंव इसके पेटे पार्टी को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा। नवीनीकरण कार्य के निरीक्षण हेतु एक कमेटी गठित की जावेगी जो कार्य को देख कर खर्चे के बिल की राशि प्रमाणित करेगी।

5. **विकय प्रकियः -**

शोरूम पर समस्त बिकी निगम द्वारा उपलब्ध करवायी गई कैशमीमों के द्वारा ही की जावेगी। राजस्थली/निगम द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जाना आवन्टी के लिए अनिवार्य है। केशमीमों की राशि निगम के द्वारा अधिकृत कैश काउन्टर पर ही एकत्रित की जावेगी, जो कन्साईनर को आगामी माह की 30 तारीख तक निगम को देय कमीशन एवं अन्य बकाया राशि को काटकर भुगतान की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में चालू माह में अधिकतम एक बार अग्रिम दिया जा सकेगा, बशर्ते कि अग्रिम लेते समय उस माह का पूर्ण कमीशन,एवं अन्य बकाया राशि से अधिक की बिकी काउन्टर पर हो जाती है

**6. निविदादाता के स्वयं के अन्य शोरूम राजस्थली के आसपास होने की स्थिति में:-**

यदि किसी निविदादाता का स्वयं का अथवा परोक्ष रूप से सहभागिता का शोरूम या दुकान उसी मार्ग पर जिस पर राजस्थली शोरूम स्थित है, या राजस्थली शोरूम के आसपास स्थित है, उस स्थिति में निगम सामान्य स्थिति में निविदा पर विचार न करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

**7. विक्रय राशि पर छूट :-**

आवन्टी द्वारा यदि प्रभारी अथवा निगम का अधिकृत अधिकारी निर्देश देवें, तो विक्रय राशि पर 20 प्रतिशत तक की छूट देनी होगी । इस प्रकार की छूट की आधी राशि निगम द्वारा और ृशेषश आधी राशि आवन्टी वहन करेगा । ऐसी बिकी पर निगम को देय निर्धारित दर पर कमीशन निगम द्वारा वहन की गई छूट की राशि को कम करके गणना की जावेगी । परन्तु आवन्टी द्वारा स्वयं की इच्छा से दी गई छूट उसके द्वारा ही वहन की जावेगी। ऐसी बिकी पर निगम को देय कमीशन की राशि वही होगी जो कि ऐसी छूट न देने पर होती।

**8. अ) वैट /अन्य कर की वसूली:-**

आवन्टी द्वारा विधि तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बिकी पर निर्धारित दर से वैट वसूल करना होगा। ऐसा करने में असफल होने पर वैट की राशि विक्रय राशि से वसूल की जावेगी। हस्तशिल्प के नाम की भाषा में फेर-बदल आदि करके वैट का अपवंचन करने की स्थिति में राजस्थली के प्रबंधक/प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर पेनल्टी लगाकर भविष्य में ऐसे कार्यो की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दें। यदि तीन बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, उस स्थिति में प्रबन्धक/प्रभारी बिकीकर पर रोक लगाकर मुख्यालय को सूचित करे। निगम उक्त अवस्था में तुरन्त प्रभाव से दी गई सुविधा/अनुमति को निरस्त भी कर सकेगा ।

**ब) सर्विस टैक्स व अन्य देय कर.**- नियमानुसार आवन्टी को स्वयं वहन करना होगा।

9. ***माल की उचित दर निर्धारणः -***

*आवन्टी द्वारा काउन्टर पर बिकी हेतु रखे गये माल की उचित कीमत ली जावेगी एवं उनसको इस सम्बन्ध में दिये निर्देशो का पालन करना होगा । माल की उचित दर निर्धारण में प्रबन्धक/प्रभारी अथवा निगम के अधिकृत अधिकारी के निर्णय की पालना किया जाना आवन्टी के लिए अनिवार्य होगा तथा निगम को हस्तक्षेप किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि आवन्टी की किसी प्रकार की त्रृटि या भूल चूक के कारण निगम को किसी भी प्रकार की हानि उठानी पडती है तो उस हानि की पूर्ति आवन्टी द्वारा करनी होगी ओर निगम को यह अधिकार होगा की उस हानि की राशि को बिकी की राशि में से अथवा अन्य कोई देय राशि में से वसूल कर ले । किसी केता की गुणवता सम्बन्धी शिकायत का निराकरण निगम के निर्देशानुसार दूर करने का दायित्व आवन्टी का होगा । प्रबन्धक/प्रभारी विकय केन्द्र को यह भी अधिकार होगा की अगर उसे काउन्टर पर किसी सामान की विकय दर अधिक प्रतीत होती है तो वह सामान की बिकी बन्द करवा सकता है*

10. ***माल की उचित गुणवत्ताः -***

*आवन्टी को शोरूम पर बिकी हेतु रखे गये माल की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी । निगम माल की गुणवत्ता के बारे में उचित प्रमाण-पत्र अथवा जानकारी प्राप्त कर सकता है । अपने विवेकानुसार निगम यह महसूस करता है कि बिकी हेतु रखे गये माल की गुणवत्ता में कमी के कारण केता में असंतोश की भावना उत्पन्न हो सकती है अथवा राजस्थली की साख पर विपरीत प्रभाव पड सकता है तो आवंटन निरस्त करने व हुई हानि अगर कोई हो तो की वसूली आवन्टी से करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।*

11. ***काउन्टर नियंत्रण व अधीक्षण संबंधी शर्ते : -***

*शोरूम पर पूर्ण नियन्त्राण व अधीक्षण निगम का होगा। निगम के अधिकारी / कर्मचारी/ सेवक अथवा प्रतिनिधि काउन्टर का निरीक्षण कर सकेंगें, कि शोरूम आवंटन की शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नही?*

12. **आवन्टी के शोरूम के कब्जे संबंधी अधिकारः -**

आवन्टी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शोरूम का कब्जा दे दें अथवा उसके किसी भाग को दूसरों के सुपुर्द कर दें। इस शर्त के उल्लंघन पर निगम द्वारा शोरूम का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा पूर्व सूचना दिया जाना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा एवं इससे निगम को हुई वित्तीय हानि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. **आवन्टी द्वारा नियुक्त विकय सहायक संबंधी शर्तेः -**

आवन्टी द्वारा अच्छे चरित्र व आचरण के व्यक्ति को माल की बिकी हेतु काउन्टर पर नियुक्त किया जावेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उम्र, पता एवं नमूने के हस्ताक्षर उनके फोटो पहचान पत्र सहित निगम को उनकी वास्तविक नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत करने होगें एवं निगम पहचान पत्र जारीकर सकेगा। निगम को अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगादे जो कि अवांछित हो।

14. **प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं संबंधी उत्तरदायित्वः -**

निगम आवन्टी के माल की हर संभव सुरक्षा एवं संरक्षा करेगा लेकिन किसी भी प्रकार की घिसावट, कमी, चोरी, ;चपसमितंहमद्ध अथवा दंगे, अग्नि, डकैती अथवा अन्य ;नदवितमेममदद्धः कारणों, भूकम्प व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

15. **कमीशन भुगतान संबंधी शर्तेः -**

चैक, बैंक ड्राफट, केडिट कार्ड जो काउन्टर पर की गयी बिकी के फलस्वरूप प्राप्त होंगे उनको भुनाने का कमीशन कन्साईनर द्वारा वहन किया जावेगा।

16. **माल के प्रदर्शन व बिकी संबंधी शर्तेः -**

आवन्टी केवल निर्दिष्ट माल को निगम के अधीक्षण में प्रदर्शन एवं बिकी कर सकेगा तथा निगम द्वारा दिये गये समस्त निर्देशन एवं अनुदेशन का पालन करना होगा, जिसके असफल/उल्लंघन होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि आवन्टी व उसके किसी अन्य कर्मचारी का शोरूम पर प्रवेश रोक दे।

**17. टेलीफोन व अन्य सुविधाओं संबंधी शर्तेः -**

किसी भी आवन्टी को टेलीफोन/लैण्ड लाईन, इन्टरनेट, ॅ।छए ऌ।छए आदिच सुविधाएं स्वयं के नाम से लेने की इजाजत नहीं होगी। इस शर्त की अवहेलना पाये जाने पर निगम बिकी पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा सकता है।

**18. बकाया राशि पर ब्याज भुगतान संबंधी नियमः -**

निर्धारित अवधि के पश्चात बकाया राशि पर आवन्टी द्वारा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से निगम को ब्याज भुगतान करना होगा।

**19. बिकी शोरूम की व्यवस्था संबंधी नियमः -**

आवन्टी द्वारा बिकी शोरूम को साफ तथा अच्छी हालत में रखा जावेगा एवं अच्छी किस्म का सामान स्टोर किया जावेगा। उससे यह आशा की जाती है कि किसी भी प्रकार से काउन्टर की दीवारों, फर्श एवं अन्य ढांचे को क्षति न पहुंचे। किसी भी कारण यदि निगम को क्षति होती है तो इसकी वसूली आवन्टी से की जावेगी। उसे तथा उसके कर्मचारियों द्वारा निगम द्वारा समय समय पर एम्पोरियम/ काउन्टरर्स के लिये बनाये गये नियमों का पालन करना होगा।

**20. बिकी किये जाने वाले काफ्ट पर लागू नियमों का पालनः -**

आवन्टी द्वारा बिक्री किये जाने वाले काफ्ट पर लागू समस्त केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के नियमों एवं कानूनों का पालन करना होगा और किसी भी कारण अथवा भूल से निगम को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।

**21. शोरूम में प्रवेश का अधिकारः -**

शोरूम में प्रवेश का अधिकार निगम द्वारा सुरक्षित है।

**22. शोरूम की कार्यविधि की पालना संबंधी नियमः -**

आवन्टी द्वारा ऐसा कोइ भी कार्य जो निगम की दृष्टि में आपत्तिजनक है अथवा जो निगम/ एम्पोरियम की कार्यविधि ;क्मबवतनउद्ध के प्रतिकूल है, नही किया जावे।

**23. सुरक्षा संबंधी नियमः -**

आवन्टी द्वारा शोरूम पर कोई भी खतरनाक, आग लगने वाला व अन्य तरह से नुकसान पहुंचाने वाला सामान नहीं रखा जावेगा।

**24. शोरूम की व्यवस्था संबंधी नियमः -**

शोरूम बन्द होने पर आवन्टी अपना सामान उनको दी गई जगह अलमीरा/काउन्टरर्स में ताला लगाकर सुरक्षित रखेंगें एवं एम्पोरियम बन्द होने के समय काउन्टर छोड देंगें। निगम एम्पोरियम का कार्य समय समय पर निश्चित करेगा व जिसका पालन आवन्टी को करना होगा।

**25. निगम के नाम के उपयोग संबंधी शर्तः -**

आवन्टी निगम के नाम का उपयोग बिना पूर्वानुमति के किसी विज्ञापन व प्रचार आदि के लिए नहीं करेगा। अनुमति के बाद अगर प्रचार-प्रसार करते हैं तो यह खर्चा आवन्टी को स्वयं वहन करना होगा।

**26. आवंटन वापस लेने संबंधी परिस्थितियांः -**

निम्नांकित किन्ही एक कारण से आवंटन को वापिस लेने/समयावधि से पूर्व समाप्त करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा-

क - यदि आवन्टी द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नही किया गया।

ख - यदि आवन्टी पूरे कलेण्डर महिने में काउन्टर को बिक्री के लिए खोलने में असमर्थ रहे।

ग - यदि आवन्टी कमीशन, अन्य बकाया राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में करने में असफल रहे।

घ - यदि आवन्टी अनुबन्ध की कोई भी शर्त का उल्लंघन करें।

- यदि आवन्टी की मृत्यु हो जावे अथवा वह दिवालिया हो जावे, जिसके कारण शोरूम पर बिक्री को बन्द करना पड़े अथवा रिसीवर या लिक्वीडेटर के तहत बिक्री करनी पडे।

च - राज्य सरकार/निगम द्वारा ली गई नवीन नीति/ निर्णय के तहत निगम हित में पाऐ जाने पर निगम एक माह के नोटिस पर शोरूम खाली कराने का अधिकार रखता लें

**27. आवंटन वापस लेने की दशा में निगम की यथाविधिः -**

उपर्युक्त परिस्थितियों में आवन्टन को वापिस लेने की दशा में निगम शोरूम का पूर्ण अधिकार माल सहित लेने में स्वतंत्र होगा निगम के समस्त बकाया का भुगतान काउन्टर को वापिस लेने की तिथि से एक महिने के अन्दर आवन्टी को करना होगा ऐसा नही करने पर निगम को यह अधिकार होगा कि आवन्टी के माल को नीलाम कर दें और प्राप्त राशि को आवन्टी पर बकाया तथा उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि ऐसी क्षति पूरक राशि को सम्मिलित करते हुए जैसा कि निगम अपने पूर्ण विवेक से तय करे, मय समायोजित कर ली जावेगी। उसके पश्चात यदि कोई राशि शेष रहती है तो आवन्टी को बिना ब्याज के भुगतान कर दी जावेगी।

**28. आवन्टी को सूचना संबंधी नियमः -**

निगम के द्वारा प्रत्यक्ष एंव परोक्ष रूप से आवन्टी को यदि कोई सूचना दी जाए या देना आवश्यक हो जावे तो वह पर्याप्त रूप से दी गई मानी जावेगी पोस्ट के जरिये, पंजीकृत पत्र द्वारा उल्लेखित पते पर भेजी गई हो अथवा विकल्प के रूप में वर्णित शोरूम पर चिपका दी गई हो।

**29. प्रदर्शनी आयेजन संबंधी नियमः -**

यदि निगम द्वारा बिकी के लिये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है तो ऐसी प्रर्दशनी में आवन्टी को अपना माल प्रर्दशित एवं बेचने हेतु प्राथमिकता दी जा सकती हैं । अगर वह प्रर्दशनी में भाग लेने में असमर्थ रहता है उसका यह कृत्य उसके आवन्टन को समाप्त करने के योग्य होगा । इस विषय में अंतिम निर्णय निगम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा कन्साईनर के लिये अंतिम तथा मान्य होगा।

**30. अनुबन्ध निष्पादन संबंधी नियमः -**

आवन्टी द्वारा 100 रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में काउन्टरर्स स्वीकृत पत्र जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा।

**31. निविदा को मान्य /अमान्य करने संबंधी नियमः -**

किसी भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा तथा पार्टी को इसके लिए कोई कारण नही बतलाया जावेगा।

**32. आवंटित स्थान संबंधी नियमः -**

निविदादाता निविदा देने से पूर्व संबंधित विक्रय केन्द्र के प्रबनधक/प्रभारी से सम्पर्क कर उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान व अन्य सुविधाओं की जानकारी कर लेवे। निगम को आवंटन स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिस हेतु निविदादाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। यदि आवन्टी किन्हीं परिस्थितियों में निगम द्वारा विशिष्ट प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाये गये स्थान के लिए किरायेदारी हक या अन्य दावे के लिए न्यायिक प्रकिया करता है तो निगम उसे ब्लेक-लिस्ट कर सकेगा।

**33. अस्थाई रूप से विक्रय केन्द्र बंद करने की दशा में निगम की यथाविधिः :-**

नवीनीकरण अथवा किसी अन्य कारण से निगम को यदि कुछ समय के लिए विक्रय केन्द्र बन्द करना पडे अथवा मिनिमम सेल गारन्टी व्यवस्था रोकनी ;क्पेबवदजपदनमद्धे पडे तो इस अवधि हेतु देय अनुपातिक मिनिमम सेल गारन्टी राशि को कुल मिनिमम सेल गारन्टी राशि में से कम कर दिया जावेगा। उक्त अवधि में काउन्टर होल्डर द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर निगम द्वारा निर्धारित कमीशन व लाइसेन्स फीस चार्ज की जावेगी।

**नोटः** - भौतिक सत्यापन के समय विकय केन्द्र यदि बिकी बन्द रखता है तो उपरोक्त शर्त लागू नही होगी ।

**34. निगम के कार्यविधि की अवमानना संबंधी नियमः -**

यदि कन्साईनर एम्पोरियम के प्रबंधक/प्रभारी के निर्देशों की अवमानना करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आने वाले ग्राहक को यह प्रतीत हो कि काउन्टर एम्पोरियम का हिस्सा नहीं है या कन्साईनर इस काउन्टर को चला रहा है, ऐसी स्थिति में प्रबन्धक/प्रभारी तुरन्त प्रभाव से आवन्टित काउन्टर पर बिकी बंद कर सकता है।

**35. कम्प्यूटरीकरण संबंधी नियमः -**

यदि निगम अपने शोरूम का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड करवाता है तो कन्साईनर को भी आवंटित काउन्टर का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड पर जो भी खर्चे होगें उसका भुगतान कन्साईनर को निगम में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

**36. ड्रेस कोड संबंधी नियमः -**

निगम अपने शोरूम में जो ड्रेस कोड स्थापित करता है, कन्साईनर को भी स्वयं के खर्चे पर अपने विक्रय सहायक हेतु ड्रेस कोड नियम का पालन करना होगा ।

**37. विवाद व निवारण संबंधी नियमः -**

यदि कोई भी विवाद/मतभेद पक्षकारो के मध्य उत्पन्न होने पर ऐसे समस्त विवाद / मतभेद निस्तारण हेतु प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष, राजस्थान लघु उघोग निगम लि0, जयपुर को प्रेषित किया जा सकेगें । निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष को प्रेषित किये गये ऐसे समस्त विवादों का निस्तारण बहैसियत एकल पंच करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होगे । यदि प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष चाहे तो वे ऐसे विवादों /मतभेदों को बहैसियत एकलपंच निस्तारित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को मनोनित करने हेतु स्वतन्त्र होगे ।इस संबंध में पक्षकारो ने सहमति यह जानते हुये दी है कि अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक का निगम में बहैसियत अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक हित निहित है । पक्षकारों के मध्य उत्पन्न समस्त विवादों /मदभेदों का निस्तारण का क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय को होगा ।

**उपर्युक्त शर्ते पुर्णतया स्वीकार है।**

**दिनांकः** **निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के**

**स्थान :** **हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता**

**मय मोहर)**

**हस्ताक्षर प्रमाणितः**

राजपत्रित अधिकारी/ नोटेरी पब्लिक

# AGREEMENT

THIS AGREEMENT IS MADE ON this the ………… day of .............. Two Thousand .Sixteen between Rajasthan Small Industries Corporation Limited (A Government of Rajasthan Concern) Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur, through its Secretary Shri Ravi Agarwal (hereinafter called the Corporation) which expression unless contrary to the context hereof, shall mean and include its successors, representative and permitted assigns on the one part and **…………………………………………………** hereinafter called the Consigner which expression include his / her / their representatives and permitted assigns) on the other part, through its Proprietor/ Partner/ Director/ Authorized signatory ....................................

**WHEREAS** vide order No.**RSIC/HC/2016-17/……………… dated ......................** the Consigner has been granted a Showroom for the, specific purpose of sale of **.....................................**

WHEREAS the Corporation owns and possess handicraft emporia at various places throughout the country, under brand name 'Rajasthali' which is hereinafter referred to as the Emporium.

**WHEREAS** the Consigner has expressed the desire to have the Showroom in the said premise for display and sale of Rajasthani Handicrafts only on the following agreed terms and conditions as are herein after mentioned.

**NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS FOLLOWS**

1. The Corporation grants permission by way of Agreement to the Consigner to use the Showroom assigned for sale of Rajasthani Handicrafts only In the said only emporium only for specific purpose for display exhibition and sale for 36 months, in the first instance, from **………………** to **…………** (extendable on mutual consent for another 24 months ) provided however, that the Corporation may at any time at its discretion call upon the Consigner to remove the articles from the said Showroom, in which event the Consigner shall be bound to do the same.

2. The Consigner has guaranteed minimum sale of Rs .............,Rs…………… and Rs. .............., in the 1st , 2nd and 3rd year, respectively, and Rs…….. and Rs……… the 4th and 5th year, respectively ( in case the Agreement is extended on mutual consent for another 24 months ) for which the Consigner has agreed to pay commission @ 25% of the sales proceeds as commission as per clause (1 ) of the terms and conditions of the tender. In case the actual sales fall short of the minimum guaranteed sale, the commission will have to be paid on the minimum guaranteed sales.

   In case the total sale of a particular month fall short even of the amount recoverable from Consigner as commission on minimum sale the balance will have to be deposited in cash by 12th of the following month.

3. For the period during which renovation work is being done, the sales made by the MSG Showroom holders should be treated as sale made on the sale and return basis. However, the consignors would be responsible for payment of Agreement fee and commission @ 25% on sale for this period. The MSG would also be reduced proportionately for the remaining period.

4. As per clause 5 of the terms & conditions of the tender, three months proportionate amount of commission on Minimum Sales Guarantee given for the first year will have to be deposited / has been deposited in the form of Bank Guarantee by consigner with the Corporation as security for due performance and observance, the terms and conditions of Agreement.

   In case the Agreement is revoked before the expiry of the date mentioned herein, on any account of breach of any terms and conditions of the contract or otherwise the security deposit will be forfeited and no interest shall be payable thereto. The Corporation will also be entitled to adjust its amount from any of the amount, payable to the Consigner

5. All sales shall be made on the cash memos to be supplied by the Corporation for the purpose and payment against these cash memos will

be collected by the Corporation at its cash collecting Showroom as usual which will be paid to Consigner by 30th of the next month after deducting the commission and any other amount due of the Corporation.

6. Consigner will charge sales tax as per law and regulations applicable to the goods sold failing which due amount of sales tax will be recovered from sales proceeds. In case of documentary evidence that the Consigner has tried to avoid tax by twist of language, etc., the Manager/Incharge/Incharge of the emporium will be authorized to impose penalty after seeking approval from HO and issue warning in writing not to repeat the same. If similar incident occurs three times, the Manager/Incharge may close the sale by putting a seal on the Showroom and report to H.O.

7. Consigner will charge reasonable approved prices for the goods to be sold at the Showroom and Consigner will have to carry out all directions, instructions in this regard. If the Corporation suffers any loss or has to incur any expenditure due to any act of the Consigner Consigner shall have to pay the amount of such loss or expenses incurred to the Corporation failing which the Corporation will have the right to recover such amount from the sales proceeds of the Showroom or from any other amount payable to Consigner or any other legal course.

8. The Consigner shall have to allow discount upto 20% on the selling rate at the discretion of the Manager/Incharge or any authorized officer of the Corporation. 50% of the discount so allowed should be borne by the Corporation and the remaining 50% shall have to be borne by the Consigner. The commission payable to the Corporation on such sales shall be calculated after deducting the amount of discount borne by the Corporation from the gross sales.

   However, the discount allowed by the Consigner at his own will shall be borne by him and commission payable to the Corporation on such sale be same which would have been payable had the discount not been allowed.

9. The overall control and superintendence of the said Showroom shall remain vested in the Corporation whose officers, employees, servants or

agents shall during business hours be entitled to inspect the said Showroom for ensuring proper observance of the terms and conditions of the Agreement.

10. The Consigner will not be entitled to allow any other person to occupy and or use the Showroom or any part thereof and further the Consigner will have no interest in the Showroom nor Consigner deemed to have possession thereof.

    The Consigner shall engage/ Assistants/Packers etc. at his own level and cost . He shall ensure that these persons of good character and conduct on the Showroom and will furnish to the Corporation in writing, the names, parentage, age, permanent address and specimen signatures or thumb impression with photographs of all such employees whom Consigner propose to employ for the purpose before they are actually put on the Showroom and the Corporation may issue identity cards to them. The Corporation shall be at liberty to prohibit entry of such employee(s) as the Corporation may, in its direction consider undesirable/against the interest/discretion security/reputation of the Corporation

11. If a Consigner does not follow the instruction of the Manager/Incharge of the emporium or does something wrong which gives an impression to the visiting customer that the Showroom does not belong to the emporium and is of a private party's Showroom, the same may be liable for discontinuance with immediate effect. A Committee of the Officers may be authorized to decide about the act of the Consigner on the above ground.

12. The Consigner will display and sell specific items under the sole supervision of the Corporation and will comply all directions and instructions of the Corporation, failing which the Corporation will be entitled to prohibit Consigner or their any other employee(s) entry to the Showroom forthwith.

13. The Corporation will provide every possible security and protection for the goods but shall not be responsible for any depreciation, shortage, theft, pilferage etc. or any such loss due to riots, fire, burglary or any other reason caused by unforeseen happenings or earth quake or other natural calamities or otherwise.

14. The Commission charged by the Bank for encashment of cheques / bank drafts and credit card. received by the Corporation against sales on the said Showroom shall be borne by Consigner solely by the consigner.

15. In any case the sales exhibition are organized by the Corporation, Consigner may be required to display his goods at the exhibition and if he fail to attend it, it will render his Agreement liable to be terminated, or otherwise the Corporation may take any other action.

16. The Agreement will not be allowed to have a landline and /or an telephone, or an internet connection, WAN, LAN facility of his own in his or his firm's name . If the Consigner or his employees are found indulging in anything which as per the Manager/Incharge's opinion is likely to carry out information which may be harmful for the goodwill of the Emporium/Corporation, the Manager/Incharge is empowered to get such facilities disconnected immediately and if the instructions are not obeyed, he may stop the sale.

    If the Corporation takes up computerization in its showroom, the Consigner also have to do the same at his own cost, in consultation with the Manager/Incharge of the emporium.

17. Consigner has to observe the dress code as and when prescribed by the Corporation for its showroom, at his own cost.

18. Consigner will pay interest @18% p.a. to the Corporation of any dues remaining unpaid after stipulated period. This is without prejudice to the other rights.

19. The Corporation reserves the right to admission in the emporium

20. Consigner will keep the Showroom in clean, proper and decent conditions and store quality goods. Consigner is expected not to damage the walls, floor and other structures of the Showroom in any manner. Consigner and his Consigner's employees shall abide by all rules and regulations that the Corporation may from time to time make or adopt for the said emporium.

21. Consigner is required to comply with all the rules and regulations under all enactments/Acts/Rules applicable in respect of sale of Handicrafts of Rajasthan and shall indemnify the Corporation for all claim made or damages suffered by the Corporation for any reasons or default in their due compliance.

22. Consigner will not undertake or permit any such activity, which in the opinion of the Corporation may be a nuisance or may in any way interfere with the decorum of the emporium/Showroom.

23. Consigner will not keep or store in the Showroom any articles of combustible inflammable or dangerous nature. He shall also ensure installation and maintenance of fire fighting gadgets in accessible places in the Showroom.

24. Agreement will, at the close of the business hours of the said emporium/Showroom, place all the items in Consigner's own safe, which Consigner will be allowed to keep and retain the keys of the safe with Consigner and will also leave the emporium/Showroom immediately after close of the business hours. The Corporation will be competent to fix the working hours.

25. Consigner will not use the name of the Corporation in any advertisement, publicity or propaganda material without prior written permission of the Corporation.

26. In case of any of the following, events, the Corporation will be at liberty to revoke the allotment.

    a) If Consigner fails to keep the Showroom open for business for any full calendar month at any time during the currency of the allotment.

    b) If Consigner fails to pay the amount of commission or any other dues as stipulated herein.

    c) if Consigner commits a branch of any of the condition of this agreement.

d) In case of death of Consigner or an order to the Consigner to wind up the business in case of bankruptcy or to carry on the business under receiver or liquidator, and

e) If it is in the interest of the Corporation in keeping with any policy change taken by the Corporation/State Government.

27. That on revocation of the Agreement in the circumstance stated above or otherwise the Corporation will be free to assume exclusive and absolute possession of the said Showroom and deal with them in such, manner as it may deem fit, and any of the belongings of the Consigner found in the said Showroom shall have to be claimed by Consigner on payment of all dues of the Corporation within the period of one month of the date of such assumption, failing which the Corporation shall be entitled to put them to auction and appropriate to itself of amount due and payable by Consigner including such amount of compensation as the Corporation may decide in its sole discretion. The balance if any will be paid to Consigner without any interest, and the entry of the Consigner in the Showroom will be prohibited.

28. A notice required to be made upon or given to Consigner shall be deemed to have been duly and sufficiently served if sent by the Corporation or its agents through post by registered letter/courier at the aforesaid address or in the alternative, pasted in/on the said Showroom.

29. Any dispute, differences or question touching on or arising out of agreement or of the sub matter there of shall be referred to the sole arbitration of the CMD/ Managing Director, Rajasthan Small Industries Corporation Ltd., Jaipur or his nominee, whose decision shall be final and binding on both the parties. The courts located at Jaipur only will have jurisdiction to deal with legal proceedings if any arising of this agreement.

30. The Consigner has agreed that the Chairman / Managing Director of Corporation will be free to appoint / nominate any person / firm to dispose of / settle any arbitration.

31. All the terms and conditions mentioned in the order **RSIC/HC/2016-17/............ dated ....................** will be deemed the terms of the present agreement unless a contrary item is mentioned in the present agreement.

32. The terms and conditions of the tender automatically become a part and parcel part of this agreement.

33. If the consigner approaches the Court and claim tenancy rights for the space allotted by the Corporation for conducting sale of the prescribed product, he will be blacklisted and will not be allowed to participate in the tenders for the next three years from the date of such orders by the Corporation.

The undersigned/Consigner has read all the above terms and conditions from start to end and accepts the same

**(Ravi Agarwal)**
**(.........................)**

SECRETARY
............................................

THE RSIC LTD., JAIPUR
.....................................................

FOR AND ON BEHALF OF THE CONSIGNER

| Witness: | Witness: |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |